



2026:AHC:42143

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 7473 सन् 2026

श्रीमती कमलेश कुमारी एवं 2 अन्य

... याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 3 अन्य

... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

: संजय कुमार दुबे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: कृष्ण कांत सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1- याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस को ग्राम पंचायत विनियमन दिनांक 12.10.2020 के अनुमोदन/स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाए।

2- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.10.2020 को भूमि प्रबंधन समिति द्वारा कुछ ग्रामीणों, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, के पक्ष में पट्टा आवंटन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था, परन्तु पर्याप्त समय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

3- श्री के.के. सिंह, प्रतिवादी संख्या-4/ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 के हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 17.02.2026 के निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया।

4- उक्त निर्देशों के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेखित है कि पूर्व में भूमि प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 24.12.1999 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके द्वारा 34 व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया गया था तथा उक्त प्रस्ताव को तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2000 को अनुमोदित किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसी भूमि के संबंध में पुनः दिनांक 12.10.2020 को प्रस्ताव पारित किया जाना विधि विरुद्ध है, तथा इस संबंध में उप जिलाधिकारी, सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस की न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, जिसकी अगली तिथि 20.02.2026 नियत थी।

5- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6- उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यायालय का यह मत है कि जब पक्षकारों के मध्य वाद उप जिलाधिकारी, सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस की न्यायालय में लंबित है, तब याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। अतः वर्तमान रिट याचिका निरस्त की जाती है।

7- तथापि, यह अपेक्षित है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस संबंधित वाद का निस्तारण यथाशीघ्र, विधि के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।